

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बाहर से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बलित विषय पर यदि पूर्व नें पत्र  
व्यवहार कुंआ से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सावधा हो।



ग्राम : घनीवरिठी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

**प्रेषक :**

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/11372

दिनांक: 09/01/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध विद्यावार्ती महाविद्यालय, भिण्ड (07534-240672) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/पिष्ठरों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442836)
- (2) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. यादव, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से अपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निरेदन है कि वे उक्त निरीक्षण समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देसी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को टण्ट स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्बगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थल अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेगे तथा महाविद्यालय की स्वतुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सत्रात पत्र व्यक्तार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किए जाते जा  
कि वित्ती अन्य प्राधिकारी के बहात हैं।  
सत्रात विषय पत्र जीवाजी पत्र  
व्यक्तार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य जीवाजी जारी जिससे यथित हो।



पत्र : बृहदीर्षि  
दूरध्वाप : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक-एफ/सम्बन्धता/2009/ 4602

दिनांक: 27/02/12

## //संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध श्रीमती विद्यावती महाविद्यालय, विष्णु (07534-240672) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तुतिसंचयित श्री.एस.-सी. (भौतिकी, स्टायर, तन्त्रज्ञान, प्राणिकी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जग्नित, आ.पा.), श्री.कॉर्न. (सभी अनिकार्त विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन अ.वि.वि.), एम.कॉर्न. एवं श्री.सी.ए. तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम कैशा-पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत विज्ञानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. उमेश होतानी, आचार्य वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442704)
- (2) प्रो. जी.बी.के.एस. प्रसाद, वायोकैमिस्ट्री अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. ए.के. हल्वे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (4) डॉ. ए.स.डी. सिसोदिया, उपाचार्य, पुरातत्त्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप्य महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, घरोंहर राशि, वाहिन शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्रा.4.5.6.त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विस्तृतियों का प्रमाण एवं नेतृत्व आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारे अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/शैक्षणिक सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधीनित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की जई देवी के लिए महाविद्यालय खवयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुत, उच्च शिक्षा, भोपाल को जोन दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति खवयं बिरस्त हो जावेगी और उप: विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खवयं रु. 25,000/- बजगा करने होंगे। तत्पश्चत् ही विरीक्षण समिति का पुरुणग्रन्थ किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यालय अधीकार / कार्यालय उच्चायक पञ्चावली लेकर जार्ये तथा महाविद्यालय की वस्तुविद्या से विरीक्षण समिति को अवगत करायेगे। विरीक्षण समिति के उदस्यों जो दी.ए. / दी.ए. मानदेश महाविद्यालय द्वारा देय होंगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यात्म, संवैधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आश्वास है कि रामिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक लियारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के वित्ती सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)